

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०-८८९ वर्ष २०१७

अबिगेल टुडू पत्नी—डेवी हंसदाक, निवासी ग्राम—सरासाबाद माहारो, डाकघर—माहारो,
थाना—जामा, जिला—दुमका। याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट
भवन, डाकघर एवं थाना—धुर्वा, जिला—राँची
4. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर, थाना एवं जिला—दुमका उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :— श्री अरबिन्द कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :— जी०पी०-II के जे०सी०

02 / 06.03.2017 कहा जाता है कि याचिकाकर्ता 28.02.2003 को सतल बालिका मिडिल
स्कूल, महारो, जामा, दुमका से शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। याचिकाकर्ता का तर्क
यह है कि प्रश्नगत स्कूल एक गैर—सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल
कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार

द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया गया है। याचिकाकर्ता को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी किया गया पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रत्यर्थी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन अब यह मुददा मरियम तिर्की बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, डब्ल्यू०पी० (एस०) सं०—५०६/२०१३ और ३ जनवरी, २०१४ के अनुरूप मामले जो २०१४ (१) जे०बी०सी०जे० ४६५ में रिपोर्ट किए गए हैं, के मामले में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर सुलझा लिया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) संख्या २०६०६—२०६०७/२०१४ में दिनांक १५.१२.२०१४ को पारित निर्णय द्वारा बरकरार रखा गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पुष्टि के मद्देनजर रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर—सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश

नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया है, द्वारा तय किया गया है।

5. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं० ३ को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता को उनके संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांच के बाद छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6.. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)